



MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, BHOPAL- 462016

Phone-0755-2466191,2464428, Fax-0755-2463742

No. /TS/MPPCB/2011

Date:

MINUTES OF TECHNICAL PRESENTATION

Dated: 26/05/11

As per the Board's order dated: 26/05/07, Shri Ashish Kumar Shrivastava, Project Manager, Project Uday, Municipal Corporation, Jabalpur presented the case for installation of new MSW Processing Plant at village: Kanthonda, Jabalpur. Board has granted authorization under MSW Rules, 2000 sanitary landfill, biological fertilizer plant and power generation upto 200 TPD at village: Kanthonda having total area 72 acres which is valid upto 31/10/2010. Now Municipal Corporation is proposed to install MSW processing plant, secured landfill site of capacity 400 TPD of having total area 50.30 hac. Environmental clearance have been granted for MSW Processing plant of 300 TPD capacity on dt. 13/04/11 from SEIAA. It was reported during presentation that a landfill site is about 0.5 km away from habitation and does not lies in the path of highway/railway. NOC from Town & Country Planning and Airport Authority has been obtained. STP will be installed at same site for the treatment of domestic waste water of Jabalpur city. Leachate collection from MSW site will be treated along with STP. The integrated municipal solid waste plant will be installed by M/s. Mahakaushal Waste Processing Pvt. Ltd. on BOOT basis.

Manual segregation, magnetic separation, screening, primary shredder, rotary dryer, secondary rotary treatment, air density separation will be installed along with MSW plant. Mechanical composting and vermin composting will be installed. Only inert material will be disposed off into landfill area (30.77 hac) which will be constructed as per the provisions of MSW Rules, 2000. Hard copy of presentation is placed below. The details of the feed back given by the officers are as follows:

S. N	Name of Officers	Comments/Feed back
1.	Shri H. S. Verma, S.E.	<ul style="list-style-type: none">• Case may be consider as per ROs IR recommendation.
2.	Shri R.K. Shrivastava, S.E.	<ul style="list-style-type: none">• O.K.• To implement UNDP MSW Project module of Bhopal (if possible)
3.	Shri Alok Jain, E.E.	<ul style="list-style-type: none">• Compliance of EC conditions• Proper capping of existing Ranital dumping site.
4.	Dr. G. K. Jaish, C.C.	<ul style="list-style-type: none">• Capping of existing site is essential.• Permission may be given.• NOC from ground water board.
5.	Shri Adesh Shrivastava E.E.	<ul style="list-style-type: none">• Compliance of EC conditions.• Compliance of manual of MSW• As per R.O. recommendations.



MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, BHOPAL- 462016

Phone-0755-2466191,2464428, Fax-0755-2463742

6.	Shri Abhay Saraf, E.E.	<ul style="list-style-type: none">• Old dumping site should be capped properly and obtain the permission from the Board.• As per recommendations of R.O.
7.	Shri H. S. Malviya, E.F.	<ul style="list-style-type: none">• May be considered as per recommendation of R.O.

R.O. recommendation is received. R.O. has recommended for grant of authorization. After deliberation Municipal Corporation may ask to submit above desired information as per the feed back submitted by the Board officials. After receiving above information, the case may be considered for expansion of MSW processing plant.


(Alok Jain)

Executive Engineer

dated: 2-6-11

Endt.No. 4794 /TS/MPPCB/2011

Copy to :

1. Shri Ashish Kumar Shrivastava, Project Manager, Project Uday, Municipal Corporation, Jabalpur. You are requested to submit the above desired information as per the feedback submitted by Board officials.
2. Regional officer, M. P. Pollution Control Board, Jabalpur for information and necessary action.
- ✓ 3. IT Section, , M. P. Pollution Control Board, Bhopal for display on official website.



(Alok Jain)

Executive Engineer



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

☎ (0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742

क्रमांक

/तक/प्रनिबो/2011,

भोपाल, दिनांक

// कार्यवाही विवरण //

बोर्ड के कार्यालय आदेश क्रमांक 200 दिनांक 26/5/2007 एवं क्रमांक 3160 दिनांक 30/10/2008 के परिपालन में उद्योगों के जल/वायु सम्मति प्रकरणों पर निर्णय लेने के पूर्व दिनांक 26/5/11 को बोर्ड के सभाकक्ष में मेसर्स कौक्स इंडिया लि., (बाटलिंग आफ कंट्री लिक्विड) नौगाँव जिला छतरपुर की ओर से श्री धर्मेन्द्र सिंह उपस्थित हुए। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा स्थापना सम्मति बावत् पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन बोर्ड के अधिकारियों के समक्ष किया गया।

प्रकरण स्थापना सम्मति का है, उद्योग प्रतिनिधि द्वारा बतलाया गया कि कंट्री लिक्विड बाटलिंग इकाई, मेसर्स कौक्स इंडिया लि., आसवनी इकाई के परिसर में लगाई जाना प्रस्तावित है। उक्त इकाई की क्षमता 180 किलोलीटर/दिन (20,000 केसेस/दिन) बतलाई गई है। राँ मटेरियल के रूप में रेक्टिफाइड स्प्रिट का उपयोग किया जायेगा। प्रक्रिया के अंतर्गत स्प्रिट को डायलूट कर बाटलिंग की जावेगी। बाटलिंग यूनिट के अंतर्गत बाटलिंग सेक्शन में 110 किलोलीटर/दिन, बाटर रिनसिंग में 06 किलोलीटर/दिन, फ्लोर क्लिनिंग में 02 किलोलीटर/दिन एवं घरेलू कार्यों में 02 किलोलीटर/दिन जल का उपयोग होगा। दूषित जल मुख्यतः बाटल की धुलाई से 06 किलोलीटर/दिन, फ्लोर क्लिनिंग से 02 किलोलीटर/दिन एवं घरेलू कार्यों से 02 किलोलीटर/दिन उत्पन्न होना बतलाया गया है। बाटल की धुलाई से उत्पन्न दूषित जल को आसवनी इकाई के उपचार संयंत्र में तथा फ्लोर क्लिनिंग एवं घरेलू कार्यों से उत्पन्न दूषित जल को सोकपिट के माध्यम से उपचारित किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है।

टोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ब्रोकर ग्लास, पी.पी. केप्स एवं बाक्स स्क्रेप को एकत्रित कर बेचा जावेगा। उक्त इकाई वायु प्रदूषण का कोई स्रोत नहीं होगा।

प्रस्तुतीकरण के दौरान बोर्ड के अधिकारियों द्वारा दिये गये अभिमत निम्नानुसार हैं:-

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	दिया गया अभिमत
1	श्री आर.के. श्रीवास्तव, अधीक्षण यंत्री	दूषित जल के उपचार हेतु आसवनी/वियर इकाई के उपचार संयंत्र के उपयोग अथवा अतिरिक्त उपचार संयंत्र के प्रस्ताव के संबंध में संभावनाओं का परीक्षण कर उपयुक्त विकल्प प्रस्तुत करेगा।
2	श्री एच.एस. वर्मा, अधीक्षण यंत्री	दूषित जल संयंत्र का प्रस्ताव एवं दूषित जल के डिस्पोजल की व्यवस्था।
3	डॉ. व्ही.पी. अपाले, मुख्य रसायनज्ञ	पृथक से ई.टी.पी के स्थापना, उपचारित दूषित जल का उचित रूप से डिस्पोजल होना चाहिए।
3.	श्री अभय सराफ, कार्यपालन यंत्री	उद्योग डीआईसी रजिस्ट्रेशन एवं ग्राम सभा/नगर पालिका परिषद् से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।
4.	श्री आलोक जैन, कार्यपालन यंत्री	बाटलिंग इकाई हेतु पृथक से ई.टी.पी के स्थापना।

5.	डॉ. जी.के. जैस, मुख्य रसायनज्ञ	वर्तमान में आसवनी इकाई बंद है एवं ई.टी.पी. उचित रूप से कार्यरत नहीं रहता । बाटलिंग इकाई हेतु पृथक से ई.टी.पी की स्थापना कर सकता है।
6.	श्री आदेश श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री	बाटलिंग इकाई हेतु पृथक से ई.टी.पी की स्थापना करना चाहिए।
7.	श्री एम.एल. पटेल, कार्यपालन यंत्री	बाटलिंग इकाई हेतु पृथक से ई.टी.पी स्थापित करना चाहिए । यूनिट हेड निर्णय के पूर्व इकाई का निरीक्षण करेंगे ।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् बोर्ड के अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझाव के परिप्रेक्ष्य में उद्योग से जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् उद्योग के प्रकरण पर निर्णय लिया जाना संभव होगा ।

(अभय सराफ)
कार्यपालन यंत्री

पृ.क. / 5792 / तक / प्रनिबो / 2011,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 2-6-11

✓ प्रभारी अधिकारी, आईटी शाखा, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

(अभय सराफ)
कार्यपालन यंत्री